तरीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

02/12/25 पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार एवं वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पैरोकार सरकान ने निवेदन किया कि राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु मौजा चक धोलका पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर में खसरा संख्या 369/82 रकबा 0.2394 हैक्टेयर भूमि में से विभाजन के दौरान संयुक्त रूप से सहमति भूमि रास्ते के रूप में आवागमन हेतु रखा गया था, जिसे निम्नानुसार रास्ते की भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है :–

क. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (हैक्टयर में)	किस्म	रास्तें की लम्बाई– (मीटर में)	रास्तें की चौड़ाई (मीटर में)	रास्तें में प्रभावित रकबा हैक्टेयर में)
1	2	3	4		5		6
1	अणसी पत्नी खेताराम गुणेशाराम पुत्र इन्द्राराम चनणाराम पुत्र पूनमाराम नाथूराम पुत्र खेताराम पोकरराम पुत्र पूनमाराम भीमाराम पुत्र इन्द्राराम रेखी देवी पत्नी पूनमाराम	369/82	0.2394	बा.दो.	सम्पूर्ण रकबा	सम्पूर्ण रकबा	0.2394

उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 04 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि खातेदारी खेत मे जो बंटवाड़े के समय रास्ते के रूप में हल्का पटवारी द्वारा अंकन किया गया था जो रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है, जिसे रास्ते के रूप में अंकन करने हेतु सहमति दी गयी है, जिसे रास्ते के रूप में अंकन करने की पूर्ण सहमति है। यदि प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपति नही है। राजस्व वाद संख्या 47/2023 अनचाराम बनाम पोकराराम दिनांक 24.01.2023 की प्रति प्रस्तुत की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 02, 05 व 06 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 369/82 का सड़क मार्ग से जुड़ाव नही है। मौके पर सड़क पर खातेदारों द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया गया है। सड़क पर जाने के लिये रास्ता सुचारू रूप से आवागमन हेतु चालु नही है। उक्त रास्ते को रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

के रूप में अंकन करने हेतु हमारे द्वारा किसी प्रकार की सहमति प्रदान नहीं की गई है तथा तामिल प्रक्रिया भी पूर्ण नही की गई है। लिहाजा उक्त रास्ते का अंकन नही कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 47/2022 अनवान गुणेशाराम बनाम पोकराराम निर्णय दिनांक 24.01.2023 के संलग्न नक्शा में प्रदर्शित पीला रंग से रास्ते हेतु खातेदारों द्वारा बंटवाड़ा हेतु खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान की गई थी। आवेदन में अंकित मौजा चक धोलका पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर में खसरा संख्या 369/82 रकबा 0.2394 हैक्टेयर भूमि में से विभाजन के दौरान संयुक्त रूप से सहमति भूमि पर रास्ते चल रहा है, परन्तु रेकर्ड में रास्ता अंकित नही है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 व 04 की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 02, 05 व 06 की आपति खारिज की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के मौजा चक धोलका पटवार हल्का जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर में खसरा संख्या 369/82 रकबा 0.2394 में अंकित निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में पीला रंग से दर्शाई गई है भूमि को तहसीलदार बाडमेर गामीण सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियामनुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:—

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (हैक्टयर मे)	किस्म	रास्तें की लम्बाई– (मीटर मे)	रास्तें की चौड़ाई (मीटर मे)	रास्ते में प्रभावित रकबा हैक्टेयर मे)
1	2	3	4		5		6
1	अणसी पत्नी खेताराम गुणेशाराम पुत्र इन्द्राराम चनणाराम पुत्र पूनमाराम नाथूराम पुत्र खेताराम पोकरराम पुत्र पूनमाराम भीमाराम पुत्र इन्द्राराम रेखी देवी पत्नी पूनमाराम	369/82	0.2394	[illegible]	सम्पूर्ण रकबा	सम्पूर्ण रकबा	0.2394

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 18:01:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी वाद संख्या 47/2022 अनवान गुणेशाराम बनाम पोकरराम निर्णय दिनांक 24.01.2023 के संलग्न प्रमाणित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर